.....किस्म..... .....उनवान.....

...लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

09/06/24 बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य के पश्चात् पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हों।

26/6/24

20/6/24 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिनानुसार दिनांक.....को पेश हो।

20-8-24

20/9/24 बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य के पश्चात् पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हों।

2-9-24

2/9/24 बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य के पश्चात् पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हों।

4-9-24

4/9/24 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 148 CPC के तहत दि० 25-2-19 को कैविएट प्रा०पत्र पेश किया। उक्त प्रा० पत्र दि० 25-2-19 से विचाराधीन चल रहा है। जबकि कैविएट प्रा०पत्र की अवधि CPC अनुसार 90 दिवस की अवधि तक प्रभावी रहने का प्रावधान है। प्रकरण में उक्त कैविएट लगभग 5 वर्ष का समय है। ऐसे पर उक्त कैविएट प्रा० पत्र का भारी गलती का हैरी [illegible] है। अतः मु० न० 4/22 [illegible] अनुसार [illegible] श्रीप्रकाश [illegible] कुमार सिंकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)